PCS Mantra · pcsmantra.in

कावेरी–वैगई–गुंडार विवाद: नई निषेधाज्ञा अर्ज़ी का न्यायालयी रिकॉर्ड

25 नवंबर 2026 · PCSMANTRA टीम



मौलिक सांकेतिक चित्र

खबरों में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय के सार्वजनिक केस-स्टेटस रिकॉर्ड में कर्नाटक बनाम तमिलनाडु व अन्य, मूल वाद संख्या 3/2021 में नई अंतरिम अर्ज़ी संख्या 359185/2026 दर्ज है। उसका विषय निषेधाज्ञा की माँग है। रिकॉर्ड में दाखिला-तारीख 20 नवंबर 2026 और अधिवक्ता Nishanth Patil का नाम है। [1]

इस प्रविष्टि से नई अर्ज़ी का अस्तित्व, संख्या और न्यायालयी दाखिला-तारीख की पुष्टि होती है। श्रेणी में निषेधाज्ञा लिखा होना न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा दे देने का आदेश नहीं है। केस-स्टेटस की यह प्रविष्टि अर्ज़ी का पूरा पाठ नहीं है।

अर्ज़ी किस विवाद से जुड़ी है

समाचार रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक ने कावेरी (कट्टलई)–दक्षिण वेल्लार–वैगई–गुंडार लिंक और संबंधित कार्यों पर अस्थायी रोक माँगी है। खबरें कर्नाटक की उस आपत्ति का वर्णन करती हैं जिसमें कावेरी के कथित अधिशेष पानी के एकतरफा उपयोग से उसके हित प्रभावित होने की आशंका है। ये माँगी गई राहत और राज्य के पक्ष के मीडिया-विवरण हैं, न्यायालय के स्वीकार किए हुए निष्कर्ष नहीं। [4][5]

रिपोर्टों में 19 और 20 नवंबर की दाखिला-तारीखें थीं। इस लेख में न्यायालय के आधिकारिक रिकॉर्ड की 20 नवंबर की तारीख ली गई है। अर्ज़ी की तैयारी या पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण की कोई अलग तारीख इस रिकॉर्ड से तय नहीं की गई है। [1]

जनवरी 2025 में क्या हुआ था

20 जनवरी 2025 का मूल न्यायालयी आदेश इसी मूल वाद में पुरानी अर्ज़ी संख्या 112460/2021 से संबंधित है। कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी–दक्षिण वेल्लार लिंक पर काम आगे बढ़ाने से रोकने का अंतरिम अनुरोध किया था। आदेश के अनुसार वादी कर्नाटक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि केंद्र ने सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं दी थी। न्यायालय ने उस समय अंतरिम राहत पर विचार जरूरी नहीं माना और उस अर्ज़ी का निस्तारण कर दिया। [2]

यह जनवरी 2025 की स्थिति और उस पुरानी अर्ज़ी का निर्णय है। इससे नवंबर 2026 की नई अर्ज़ी अपने-आप तय नहीं हो जाती और न सभी वर्तमान अनुमतियों की स्थिति स्थापित होती है।

अक्टूबर के कार्यवाही-रिकॉर्ड को सही पढ़ें

14 अक्टूबर 2026 का रजिस्ट्रार की कार्यवाही का रिकॉर्ड और उसकी संशोधित प्रति उपलब्ध हैं। संशोधित भाग गवाह PW-3 की आगे जिरह 10 और 11 दिसंबर 2026 को रखने के बारे में है। यह नई नवंबर अर्ज़ी से पहले की कार्यवाही है, उस अर्ज़ी पर रोक देने या खारिज करने का आदेश नहीं। [3]

मुख्य परीक्षा के लिए महत्व

विश्लेषण: अंतर-राज्यीय जल मामलों में परियोजना का भौतिक कार्य-दायरा, पानी का स्रोत, मौजूदा हिस्सेदारी और माँगी गई राहत अलग प्रश्न हैं। विश्वसनीय चर्चा के लिए राज्य का पक्ष, सरकारी तकनीकी दस्तावेज़ और न्यायालय का वास्तविक आदेश अलग-अलग पहचानना चाहिए। साझा आँकड़े और स्पष्ट परियोजना-सीमाएँ राज्यों के बीच भरोसे में मदद कर सकती हैं।

प्रिलिम्स अभ्यास

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मूल वाद 3/2021 के सार्वजनिक रिकॉर्ड में नई अर्ज़ी 359185/2026 की दाखिला-तारीख 20 नवंबर 2026 है।

कथन 2: निषेधाज्ञा माँगने की अर्ज़ी का पंजीकरण अपने-आप निषेधाज्ञा दिए जाने के बराबर है।

कथन 3: 14 अक्टूबर 2026 के संशोधित कार्यवाही-रिकॉर्ड में दिसंबर की तारीखें गवाह की आगे जिरह से संबंधित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: सार्वजनिक केस रिकॉर्ड में अर्ज़ी 359185/2026 की दाखिला-तारीख 20 नवंबर 2026 है।

कथन 2 गलत है: राहत माँगने वाली अर्ज़ी और राहत देने वाला न्यायालयी आदेश अलग हैं।

कथन 3 सही है: अक्टूबर के संशोधित कार्यवाही-रिकॉर्ड की दिसंबर तारीखें गवाह की आगे जिरह के लिए हैं, नई अर्ज़ी की सुनवाई का आदेश नहीं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास

अंतर-राज्यीय नदी-जोड़ विवादों में तकनीकी परियोजना, राज्यों के दावों और न्यायिक आदेशों को अलग पढ़ना क्यों जरूरी है? (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

- **भूमिका में:** पानी के उपयोग और संघीय संबंध का संदर्भ दें।
- **मुख्य भाग में:** स्रोत-नदी, परियोजना-चरण, साझा आँकड़े, मौजूदा हिस्सेदारी और अंतरिम राहत जोड़ें।
- **निष्कर्ष में:** स्पष्ट अभिलेख और सहयोग आधारित निर्णय का महत्व बताएँ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई अर्ज़ी कब दाखिल हुई? सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में अर्ज़ी संख्या 359185/2026 की दाखिला-तारीख 20 नवंबर 2026 है।

क्या परियोजना पर नई रोक लग गई है? केस-स्टेटस की प्रविष्टि निषेधाज्ञा की माँग दर्ज करती है, उसे दिए जाने का आदेश नहीं। केवल इस प्रविष्टि या अक्टूबर की पुरानी कार्यवाही से नई अर्ज़ी का परिणाम तय नहीं होता।

क्या दिसंबर की तारीख नई अर्ज़ी की निश्चित सुनवाई है? 14 अक्टूबर का संशोधित कार्यवाही-रिकॉर्ड 10 और 11 दिसंबर को गवाह की आगे जिरह के बारे में है। समाचार रिपोर्टों में नई अर्ज़ी के 10–12 दिसंबर के आसपास सूचीबद्ध होने की संभावना बताई गई है, इसे निश्चित सुनवाई-तारीख मानने के बजाय ताजा न्यायालयी सूची से जाँचना चाहिए।[4][5]

स्रोत:

1. https://www.sci.gov.in/case-status-case-no/?view_case_details=1&diary_no=16244&diary_year=2021
2. https://api.sci.gov.in/supremecourt/2021/16244/16244_2021_5_11_58602_Order_20-Jan-2025.pdf
3. https://api.sci.gov.in/supremecourt/2021/16244/16244_2021_22_1_62905_Order_14-Oct-2026.pdf
4. https://www.thehindu.com/news/national/karnataka-moves-supreme-court-to-restrain-tamil-nadu-in-cauverysouth-vellarvaigaigundar-link-project/article71738245.ece
5. https://www.newindianexpress.com/india/2026/Nov/25/karnataka-moves-sc-seeks-injunction-against-cauvery-vaigai-gundar-project

---